

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी अनुमति-पत्र

सं. 135 / न० अ० वि०

दिनांक 16.8.15


गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ. प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारी पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलिकत्व के अधिकारी के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री कृष्णानंदी उन्नतीजवारी तिंच पर्णी श्री ज्वर्प नरपति तिंच न राजीव तिंच ५० फूटी ज्वर्प नरपति सिंद पिता/पति का नाम श्री आराजी संख्या ७६/२ मौजा वरलाड गांड शिवापुर में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के घीर्नित भवन चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक 20



उत्तराधिकारी (मंत्री)

विकास क्षेत्र उपाध्यक्ष, वाराणसी

वाराणसी विकास प्राधिकरण

वाराणसी १५/८/१५

नोट : 1- यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आजानकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकार्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2- इस अनुमति पत्र में सङ्केत, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3- मकान निर्माण से यदि नाली, सङ्केत की पटरी अथवा सङ्केत या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह रवानी को गृह तैयार हो जाने पर दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रॉल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5- प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6- यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्नुलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7- यदि अधिकारित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विवरण कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्तें :-

- 1:- पक्ष वाणी को सचले पर 13 पैड लगाना होगा।
- 2:- वेसकैन्ट और बिल्डिंग्स लाइन से आधिक पर बनी है, उस स्लैब का स्फ्रेकचर / डिजाइन आवश्यक भायर देण्डर को मार वहने करने की अनुमति के उत्तमर होगी।
- 3:- कुल पार्किंग जीवं का 10 प्रतिशत मात्र बिल्डिंग पार्किंग है तथा आरक्षित काचो जाहेंगों जिसमें प्रवेश रखने वालों से की जायज़ ०८ वर्षों पक्ष वाणी कारों करना हैगा।
- 4:- चूंकि इनके रास्ते आवश्यक नहीं प्रकार का बिल्डिंग होने की दृष्टि से पक्षियों का भानमित्र सचले निरस्त समझा जायेगा। जो इनकी समस्तों जिम्मेवाली पक्ष वाणी की होगी।
- 5:- पक्ष वाणी को विद्युत विभाग ने 31/8/15 तक विभाग के गते मात्र पालने करना हैगा।
- 6:- पक्ष वाणी कारों प्रस्तुते शाप्टे - पक्ष विभाग 30/6/15 व दिनों के 13/8/15 का पालने करना हैगा।
- 7:- विभाग कारों मालिक्य में आदि कोई देखता बनता है तो वह पक्ष वाणी कारों के देखा होगा।
- 8:- अभीष्ठा उपरान्ते पक्ष वाणी को पूर्णता प्राप्ति पत्र प्रस्तुत करना हैगा।

13/8/15

13/8/15

14/8/15

14/8/15

वाणी अभियन्ता (मवन)
विभाग प्राधि... वाराणसी।